फर्द अहकाम

धर्मीलाल बनाम सरकार
उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

36/2024

क्रमांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 30/09/24 को पेश हो (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
30/09/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध प्रा० पत्र, जवाब एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने एवं वकील प्रार्थी की बहस को मनन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा० अधि० को स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली कोलन्दा दर्ज होकर नतीजा से दर्ज हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

(12)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
36 / 2024	20 / 03 / 2024	30.09.2024

घासीराम पुत्र चन्दाराम जाति जोगी निवासी ग्राम राहोरी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।

प्रार्थी

बनाम

जस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, जमवारामगए, जिला जयपुर, जस्थान।

अप्रार्थी

परस्थित अभिभावक

ो महेश शर्मा :– वकील प्रार्थी।

प्रार्थनापत्र बाबत् दुरूस्ती नाम इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

–:निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री महेश शर्मा के यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्राथी में नाम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा ,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि आराजी नवीन खसरा नम्बर 219, 308 अनुसार भूमि ग्राम राहोरी पटवार हल्का राहोरी तहसील जवमारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थी अपने पिता चन्दराम की विरासत की हैसियत से राजस्व रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार चला आ रहा है। उक्त भूमि प्रार्थी के हक अधिकार मालिकाना एवं हक स्वामित्वता की पैतृक सम्पत्ति चली आ रही है जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का ग़लत नाम घीसा पुत्र चन्द्रा अनुसार गलत अंकित है जबकि प्रार्थी का सही नाम घासीराम पुत्र चन्दाराम अनुसार है जिससे कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत अंकित होने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार बाधित हो रहे है। प्रार्थी को भूमि से संबंधित किसी भी कार्य में परेशानी का सामना करना पड रहा है। तब जाकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना प.त्र श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। राजस्व विभाग के रिकार्ड में सहवन से या भूलवश प्रार्थी के पिता की विरासती आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज कर दिया गया तथा प्रार्थी के हक अधिकार मालिकाना के विरूद्व चले आ रहे उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज प्रार्थी के विधिक अधिकारों के विरूद्व प्रभाव शुन्य एवं काबिले दुरूस्ती है, जिसको दुरूस्त कराने का प्रार्थी को विधिक अधिकार है तथा प्रार्थी की भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कराते हुए शुद्धि कराना अपेक्षित व न्यायोचित है ताकि प्रार्थी अपने हक अधिकारों का विधिवत उपयोग उपभोग कर सके। प्रार्थी का असल नाम घासीराम पुत्र चन्दाराम है मतदाता सूची व राशनकार्ड, बैक खाता एवं आधार कार्ड में भी प्रार्थी का नाम घासीराम पुत्र. चन्दारम ही दर्ज चला आ रहा है तथा प्रार्थी को घर पर प्यार से घीसा पुत्र चन्द्रा के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है जिसके कारण यह उक्त नाम राजस्व जमाबन्दी में परिवार के या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भूलवश लिखवा दिया गया जो कि गलत है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान खसरा नम्बर 219, 308 अनुसार भूमि ग्राम राहोरी, तहसील जमवारामगढ के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का गलत नाम घीसा पुत्र चन्द्रा के स्थान पर सही नाम घासीराम पुत्र चन्दाराम अंकित किया जाकर चली आ रही गलती को सुधार किये जाने एवं उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों मं प्रार्थी का सही नाम घासीराम पुत्र चन्दाराम अंकित किया जाने के आदेश फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

(212)

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक /एल.आर./136/2024/3340 दिनांक 25.06.24 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि वर्तमान जमाबनदी ग्राम राहोरी संवत 2073–76 अनुसार वादी खसरा नम्बर 219, 308 में एक मात्र खातेदार है। वादी का नाम मुताबिक राजस्व रिकार्ड घीसा पुत्र चन्दा जाति जोगी अंकित है। वादी का संलग्न दस्तावेजों अनुसार पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैक पासबुक, में घासीराम पुत्र चन्दाराम जाति जोगी दर्ज है। वादी का राजस्व रिकार्ड में घीसा पुत्र चन्दा अंकित है। जबकि वादी के सभी दस्तावेजों में वादी का नाम घासीराम पुत्र चन्दाराम दर्ज है।

प्रार्थी अधिवक्ता व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित दिया जाता है कि ग्राम राहोरी तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण, राजस्थान में स्थित प्रार्थी की खातेदारी वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 219 व 308 को मुताबिक रिपोर्ट वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम घीसा पुत्र चन्द्रा के बजाय घीसाराम पुत्र चन्द्रा दर्ज कर दुरूस्त किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 30.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़